1.B

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय

अनुसुचि 14 फारम सं0 563

मिस केस नं0 180/16 D 5/2/18

आदेश की क्रम सं0 और तारिख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर धारा – 107 द0 प्र0 सं0 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारिख के साथ 3
6.08.16	दानसाह पाड़िया बनाम राउतु बाँकिया एवं अन्य थाना प्रभारी ....कुचाई.... ने अप्राथमिकि सं0 ....9/16.... के द्वारा सूचित किया है कि ....जमीन-विवाद.... को लेकर दोनो पक्षों से शांति भंग की सम्भावना है अतः उन्होंने दोनो पक्षों के विरूद्ध धारा 107 द0प्र0सं0 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करने का अनुरोध किया है । थाना प्रभारी के प्रतिवेदन से मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त कारण से दोनो पक्षों से शांती भंग की सम्भावना है अतः धारा 107 द0प्र0सं0 की कार्यवाही दोनों पक्षों के विरूद्ध प्रारम्भ की जाती है । सुचना निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग करें कि एक साल तक शांति बनाये रखने हेतु प्रत्येक से तीन–तीन हजार रूपये का बंध पत्र दो प्रतिभु के साथ प्रत्येक उसी राशि का दाखिल करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख दिनांक ....8.09.16.... को उपस्थापित करें। लेखापित 6/08/16 अनुमण्डल पदाधिकारी सरायकेला	प्रथम पत्र 17.10.16 31.10.16 21/11/16 द्वितीय पत्र 12.12.16 2.01.16 23/1/17 16/02/17 27/02/17 20.03.17 13.04.17 4/5/17 17/5/17 2.06.17 16/06/17 5/7/17 21.07.17 9.08.17 28.08.17 13.09.17 9.10.17 S.R. Received. 01.11.17 14.11.17 1.12.17 19.12.17 16-1-18 5.02.18
8.09.16	अभिलेख उपस्थापित किया गया। द्वितीय पक्ष S/S सदस्य वकालतनामा के साथ उपस्थित होकर S/C हेतु समय की मांग की है। 29/09/16 को रखें।	
29.09.16	अभिलेख उपस्थापित किया गया। द्वितीय पक्ष S/S सदस्य उपस्थित होकर	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बाद में टिप्पणी तारीख सहित 3
1.11.17	अभिलेख उपस्थापित किया गया। उभय पक्ष अनुपस्थित। पीठा० पदा० अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 14.11.17 को उपस्थापित करें।	
14.11.17	अभिलेख उपस्थापित किया गया। उभय पक्ष अनुपस्थित। पीठा० पदा० अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 1.12.17 को उपस्थापित करें।	
1.12.17	अभिलेख उपस्थापित किया गया। उभय पक्ष अनुपस्थित। पीठा० पदा० अवकाश पर। अभिलेख दिनांक 19.12.17 को उपस्थापित करें।	
19-12-17	अभिलेख उपस्थापित किया गया। उभय पक्ष अनुपस्थित। पीठा० पदा० अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक-16-1-18 को उपस्थापित करें।	
16.01.18	अभि० उपस्थापित किया गया। उभय पक्ष अनुपस्थित। प्रथम पक्ष आत्मसमर्पण उपस्थित नहीं हुए। प्रथम पक्ष के विरुद्ध वारंट करें। अभिलेख दिनांक-05-02-18 को रखें। [signature] 16/01/18	
5.02.18	अभिलेख उपस्थापित किया गया। उभय पक्ष अनुपस्थित। थाना प्रभारी के द्वारा वारंट का क्रियान्वयन नहीं कराया गया है। (बारंबार स्मार पत्र के बावजूद) इससे प्रतीत होता है कि शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही बन्द की जाती है।	